कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1791 / FP/UK/ROAD/13103/2015 देहरादूनः दिनांकः 28 जनवरी 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर में मनियाछीना भाटगाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.6576 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 86 / 2015 / 462 दिनांकः–08.06.2015

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2815 / 12–1–2 दिनांक 19.01.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.3152 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.3152 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 8,39,846.00 RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52017110900008058 दिनांक 09–11–2017 से जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.3152 है0 सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी, जनपद–बागेश्वर के आदेश संख्या–191 / छब्बीस–वन / 2016–17 दिनांक 03–05–2017 के द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। संदर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 10,89,043.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में यदि सक्षम स्तर से एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

4	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 10,89,043.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 8,39,846.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 19,28,889.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5	सड़क निर्माण के पचात जहां जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पचात जहां जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर strip plantation कराये जाने सम्बन्धित वचनबद्धता पूर्व में प्रस्ताव में संलग्न की जा चुकी है। पुनः वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

28/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–1791 /FP/UK/ROAD/13103/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 3099 / 121-2 बागेश्वर दिनांक : 03/02/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में मनियाछीना भाटगाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.6576 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।**
(प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/13103/2015)

सन्दर्भ:– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/08/86/2015/462 दिनांक 08 जून 2016।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में **जनपद बागेश्वर में मनियाछीना भाटगाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.6576 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.3152 है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.3152 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 08,39,846.00 मात्र (रू0 आठ लाख उनचालीस हजार आठ सौ छियालीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR 52017110900008058 Dtd 10.11.2017 द्वारा किया जा चुका है। **(संलग्न–01)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 3.3152 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 191/छब्बीस– वन/2016–17 दिनांक 03.05.2017 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।**(संलग्नक:–02)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBINR 52017110900008058 Dtd 10.11.2017 द्वारा रू0 10,89,043.00 मात्र (रू0 दस लाख नवासी हजार तैंतालीस मात्र) जमा की जा चुकी है **(सलग्न 01 के अनुसार)**।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि भी जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)**(संलग्न–3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online

Nodal adikari

	प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि **प्रबन्धन** तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि SBINR 52017110900008058 Dtd 10.11.2017 द्वारा रू0 19,28,889.00 मात्र (रू0 उनीस लाख अठ्ाईस हजार एक सौ नवासी मात्र) जमा की जा चुकी है **(संलग्न 01 के अुनसार)।**
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5)**

<u>संलग्न–चार प्रतियों में</u>

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari

सामान्य
30/01/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 319 / 2ई.व.भू   दिनांक 30/01/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में मानियाछीना–भाटगाड़ मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.6576 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रॉक 8बी/यू0सी0पी0/08/86/2015/462 दिनांक 08.05.2015

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0 2913/2ई0व0भू0 दिनांक 01.12.2017 द्वारा आपके माध्यम से प्रेषित की गइ थी, वर्तमान में आपके पत्र स0 5282/12–1–2 बागेश्वर दिनांक 28.06.2023 द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. की देय धनरीाशि की मॉग की गई थी, जमा की जा चुकी है। अतः संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार चार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

<u>सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के (संशोधित) अनुपालन आख्या</u>

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.3152 है0 बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.3152 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 8,39,846.00 मात्र (रू0 आठच लाख उन्तालीस हजार आठ सौ छियालीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं0 SBINR52017110900008058 दिनांक 09.11.2017 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 3.3152 है0 ग्राम बदियाकोट का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 191/छब्बीस–वन/2016–17 दिनांक 03.05.2017 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–189/ र0का0 /व0भू0ह0/2016–17 दिनांक 18.05.2017 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।) **(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त सं0 2 के अनुपालन में रू0 10,89,043.00 (रू0 दस लाख नवासी हजार तैंतालीस मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान UTR नं0 SBINR52017110900008058 दिनांक 09.11.2017 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है। **(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)**

			तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि UT SBIN423270690699 dtd 27.09.2023 द्वारा 05,77,193.00 जमा की जा चुकी है तथा **(चालान की संलग्न)**।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।		प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता **(प्रमाण पत्र संलग्न है)**।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।		शर्त सं0 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरे सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण (कैम्पा) के तदर्थ निकाय खाते में ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होता है उसी के माध्यम से जमा कर दिया गया है **(प्रति संलग्न)**।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेशित करनी होगी।		शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण **(प्रमाण पत्र संलग्न है)**।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना चार प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

2957
30/01/2024
127-2

भवदीय,
29/01/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 319 / 2ई०व०भू   दिनांक 30/01/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः— जनपद बागेश्वर में मानियाछीना—भाटगाड़ मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.6576 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भः— भारत सरकार के पत्रॉक 8बी/यू0सी0पी0/08/86/2015/462 दिनांक 08.05.2015

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0 2913/2ई0व0भू0 दिनांक 01.12.2017 द्वारा आपके माध्यम से प्रेषित की गइ थी, वर्तमान में आपके पत्र स0 5282/12—1—2 बागेश्वर दिनांक 28.06.2023 द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. की देय धनरीाशि की मॉग की गई थी, जमा की जा चुकी है। अतः संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार चार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के (संशोधित) अनुपालन आख्या

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.3152 है0 बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.3152 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु रू0 8,39,846.00 मात्र (रू0 आठच लाख उन्तालीस हजार आठ सौ छियालीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं0 SBINR52017110900008058 दिनांक 09.11.2017 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 3.3152 है0 ग्राम बदियाकोट का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 191/छब्बीस—वन/2016—17 दिनांक 03.05.2017 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक—189/ र0का0 /व0भू0ह0/2016—17 दिनांक 18.05.2017 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।) **(संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5—3 / 2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त सं0 2 के अनुपालन में रू0 10,89,043.00 (रू0 दस लाख नवासी हजार तैंतालीस मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान UTR नं0 SBINR52017110900008058 दिनांक 09.11.2017 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है। **(संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)**

		तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि UTR No-SBIN423270690699 dtd 27.09.2023 द्वारा रू0 05,77,193.00 जमा की जा चुकी है तथा **(चालान की प्रति संलग्न)।**
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता **(प्रमाण पत्र संलग्न है)।**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।	शर्त सं0 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरे सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण (कैम्पा) के तदर्थ निकाय खाते में ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होता है उसी के माध्यम से जमा कर दिया गया है **(प्रति संलग्न)।**
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेशित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण **(प्रमाण पत्र संलग्न है)।**

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना चार प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,
29/01/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

डिस्पैच
30/01/2024
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

"वन सदैव आपके संग"

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 788 / 12-1 बागेश्वर, दिनांक : 10 / 10 /2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0 नि0 विभाग
बागेश्वर

विषय – जनपद बागेश्वर में मनियाछीना भाटगाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.6576 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (13/03/2015)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 1256/2ई0 व0भू0 दिनांक 10.06.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	1.6576 है0	657000.00	1089043.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.3152 है0	2,53,332.00	8,39,846.00

उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक –596/3–5–2 दिनॉक 19.08.2015 के द्वारा निधारित दरो के कम में वर्ष 2017–18 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाइन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"वन सदैव आपके संग"

demand

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-10-2017

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	113131032015906
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	1928889/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-10-2017

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	113131032015906
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	1928889/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

SBINR52017110900008058 Dt. 9.11.2017

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स न0 : 05963-220249 फैक्स न0 05963-220209

पत्रांक 5282 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 28/06 /2023

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय – **जनपद बागेश्वर में मनियाछीना भाटगाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.6576 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही की गयी है, मे एन0पी0वी0 की नयी दरो के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र मे उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव मे उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 08 जून 2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध मे माग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	घनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	1.6576 है0	5	0.2	1005210.00	16,66,236.00	10,89,043.00	5,77,193.00
	कुल योग					16,66,236.00	10,89,043.00	5,77,193.00

(उमेश चन्द्र तिवाडी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6113103994
State Code.	UK
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	577193/-

Amount in Words :Five Lakh Seventy-Seven Thousand One Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6113103994
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6113103994
State Code.	UK
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	577193/-

Amount in Words :Five Lakh Seventy-Seven Thousand One Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6113103994
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

SBIN423270690699 Dt 27/9/2023

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर।

PWD Uttarakhand

फोन/फैक्स नं0–05963–220006

E-mail id- pdpwdbgr@gmail.in

पत्रांक 3837/कैश

दिनांक 27/09/2023

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर मनियाछीना भाटगाड़ मोटर मार्ग का निर्माण (4 किमी0) हेतु अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा करने हेतु कोषागार बागेश्वर से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैकर्स चैक सं0– 639459 दिनांक 18.09.2023 ₹ 577193.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0– 150896113103994 IFSC Code- UBIN0996335 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :– बैकर्स चैक सं0–639459 दिनांक 18.09.2023 ₹ 577193.00मात्र मूल में।

SBIN423270690699

(इं0 धन सिंह कुटियाल) 26/09/23
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

पत्रांक :– /कैश, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता प्रभारी, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेष्वर।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

(BGL)

भारतीय स्टेट बैंक, बागेश्वर शाखा-(01693)
PF ID: 1002482
27 SEP 2023
Posted By
Chked. By
Name: MANISHA TIWARI
Signature

आदेश

उपजिलाधिकारी,कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के आधार पर जनपद बागेश्वर में मानियाछीना–भटगाड मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.657 है0 की दुगनी अवनत वन भूमि 3.315 है0 जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी श्रेणी 9(3)ख जंगल के खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4140 रकवा 2.610 है0, मध्ये 0.610 है0, खेत नं0 4275 रकवा 2.750 है0, मध्ये 2.705 है0, कुल रकवा 3.315 है0 श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(II)/2012–18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं वनजलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या 08 बी/यू0सी0पी0/06/86/2015/462 दिनांक 08 जून, 2016 में दी गयी शर्तो के अधीन उक्त वर्णित 3.315 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

पंजी. 254 डायरी नं. 1016 दिनांक 8-5-17

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर

संख्या – 191 / छब्बीस – वन /2016–17 दिनांक 03/05/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग ,बागेश्वर।

2– अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बागेश्वर।

3– उपजिलाधिकारी,कपकोट।

4–तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या–189/र०का०/व०भू०ह०/2016–17/दिनांक 18 मई, 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में मानियाछीना–भटगाड़ मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.657 है0 के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुनी अवनत भूमि 3.315 है0 भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के आदेश संख्या–191/छब्बीस– वन/ 2016–17 ,दिनांक 03/05/2017 के अनुपालन में ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4140 रकवा 2.610 है० मध्ये 0.610 है०, खेत नं० 4275 रकवा 2.750 है०, मध्ये 2.705 है० कुल रकवा 3.315 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :– (01) जिलाधिकारी, महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल अवलोकनार्थ प्रेषित।
(02) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर को मय खतौनी नकल प्रेषित।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर
पंजी. न. 259
डायरी नं. 1159
दिनांक 19-5-17

गै० ज० वि० खतौनी उद्धरण

ग्राम - कांडेधाकोट पटवारी क्षेत्र - कांडेधाकोट तह० - कपकोट जि० - बागेश्वर

श्रेणी - ६ (२) ख (१) इमारती लकड़ी के वन —

खाता सं०	नाम खातेदार	फ० सन्	खेत नम्बर	रकबा	लगान	विवरण
110	जंगल		१६८	५॥		जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के आदेश सं० 191 / छब्बीस वन / 2016 दि० 03/05/2017 के शासनादेश संख्या 2173 / XV III (10) / 2012-18 (120) / 2012 दि० 17 दिसम्बर 2012 तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र सं० 08बी / यू० सी० पी० / 06 / 26 / 2015 / [illegible] दिनांक 08 जून 2016 में [illegible] के अधीन ग्राम कांडेधाकोट के श्रेणी वि० खा० सं० 110 श्रेणी ९(२) ख जंगल के [illegible] खेत नम्बर 4140 रकबा 2.610 है० में से 0.616 है० [illegible] 4275 रकबा [illegible] है० में से [illegible] कुल रकबा [illegible] है० श्रेणी [illegible] जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण [illegible] वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित [illegible] किया। [illegible] रा० उ० नि० क्षेत्र - कांडेधाकोट
			१६९	२३१		
			१६७५	३६८।।।		
			१६७६	१८७॥		
			१६७७	१२५		
			१६८०	८५।।।		
			— क्रमशः —			
			४१३८	२४०		
			४१४०	१३०॥		
			४१४१	१२२		
			४१४२	१२५		
			— क्रमशः —			
			४२७४	६३।।।		
			४२७५	१३७॥		
			४२७६	१०६।=		
			— क्रमशः —			
			८३०३	३		
			८३०४	॥=		
			८३०५	२-		
	— योग -		३७८	५६०४१=	—	

महोदय,

तैयार किया,

[signature] 17.5.17

रा० उ० नि०

क्षेत्र - कांडेधाकोट

तहसील - कपकोट

जिला - बागेश्वर

प्रतिहस्ताक्षरित,

[signature]

तहसीलदार

तहसील कपकोट

प्रतिपर्ण / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन
Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा / Branch : Bageshwar

दिनांक/Date : 08-11-2017

Received From Executive Engineer P. D. P.W.D. BAGESHWAR से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए
By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर / on : UTTARANCHAL CAMPA

बैंक / Bank : Corporation Bank

शाखा / Branch : BANGALORE

के पक्ष में / Favouring : UTTARANCHAL CAMPA

आईएफएससी कोड / IFSC Code : CORP0000633

खाता संख्या / Account No. : 15089113121032015910 -6

राशि (रुपये)/ Amount ₹ :	0019288889
बैंक प्रभार/Bank's charges₹:	0000
योग / Total ₹ :	0019288889

राशि / Rupees (in words) : Ninteen Lac twenty eight thousand Eight hundred eighty nine only.

SBINR52017110900008058

सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र– 51

परियोजना का नामः– **राज्य योजना में जनपद बागेश्वर में मनियाछीना– भाटगड़–पगना मोटर मार्ग का निर्माण।**

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0आ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूर भाषा: 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 86 / 2015 / 462 दिनांक: 8 जून, 2016

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–बागेश्वर में मनियाछीना भाटगाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.6576 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 634/X-4-15/1(371)/2015 दिनांक– 31.07.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online proposal No. FP/UK/ROAD/13103/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–बागेश्वर में मनियाछीना भाटगाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.6576 है0 वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.3152 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

5. सड़क के निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत

वन भूमि प्रभारक
DFO को MPV कार्यवाही पत्र प्रेषित (?)

10.6.16

विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:--

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.3152 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस--पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख--रखाव के दौरान आस--पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव--जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 121 से अधिक न हो।
10. सड़क के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां--जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख--रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख--रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम0एस0 नेगी)

वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम0एस0 नेगी)

वन संरक्षक